

फार्म 3 (Form 3)

परिवार का विवरण (Details of Family)

सरकारी कर्मचारी का नाम : _____
Name of the Government Servant

पदनाम(Designation) : _____

मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण दिनांक को / Details of the members of my Family * as on

क्र.सं. S.No.	परिवार के सदस्यों के नाम Name of the members of family *	जन्मतिथि Date of Birth	अधिकारी के साथ संबंध Relationship with the Officer	कार्यालय अध्यक्ष के आद्याक्षर Intial of the Head of Office.	टिप्पणी Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपरोक्त विवरण को अद्यतन रखूंगा/रखूंगी तथा उनमें यदि किसी का भी नाम जोड़ना अथवा काटना होगा तो उसे सूचित करूंगा/करूंगी।

I hereby undertake to keep the above particulars upto date by notifying the same by addition or alternation.

स्थान Place :

दिनांक Date :

आवेदक के हस्ताक्षर (Signature of applicant)

* परिवार —इस उद्देश्य के लिए परिवार का अभिप्राय केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के उपनियम के खण्ड 'ख' में परिभाषित अनुसार है।

*Family-For this purpose means family as defined in Clause 'b of sub-rule of the CCS (Pension) Rules, 1972.

टिप्पणी :- पत्नी अथवा पति से तात्पर्य न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नी और पति से है : नियम 54 (14)-9 बी) अनुसार सरकारी कर्मचारी के परिवार के संबंध में एक सरकारी कर्मचारी के संबंध में परिवार का तात्पर्य है :

Note :- Wife and husband shall include respectively judicially separated wife : Under Rule 54 (14)-9b) , 'Family' in relation to a Govt. servant means :

(i) एक पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी अथवा महिला कर्मचारी के मामले में पति बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी का विवाह सेवानिवृत्ति से पहले हुआ है।

(i) Wife in case of male Govt. servant or husband in the case of a family provided the marriage took place before retirement of the Govt. servant.

(ii) न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नी या पति-पत्नी के विवाह-विच्छेद के आधार पर इस तरह के अलगाव को मंजूरी नहीं दी जाती, बशर्ते विवाह सेवानिवृत्ति के पूर्व हुआ हो और जीवित व्यक्ति को व्याभिचार का दोषी नहीं ठहराया गया हो।

A judicially separated wife or husband-Such separation not be granted on the ground of adultery provided the marriage took place before the date of retirement and person surviving was not held guilty of committing adultery.

(iii) पुत्र जो इक्कीस वर्ष का नहीं हुआ है और अविवाहित पुत्री जा तीस वर्ष की नहीं हुई है, इसमें सेवानिवृत्ति के पहले कानूनी रूप से अपनाए गए पुत्र व पुत्री भी शामिल हैं, किन्तु सेवानिवृत्ति के बाद जन्मे पुत्र या पुत्री शामिल नहीं हैं।

(iii) Son who has not attained the age of twenty one years and unmarried daughter who has not attained the age of thirty years, including such son and daughter adopted legally before retirement but shall not include son or daughter born after retirement.